(11) (12)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प02(11)(2)रेवे-8/73 दिनांक 19.1.197

-: अधिसूचना :-

राजस्थान वन (उपज अभिवहन) नियम, 1957 के नियम 2 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य के भीतर के गन्तव्य स्थानों के लिए निम्नलिखित जातियों की वन उपज के परिवहन को इसके द्वारा छूट प्रदान करती है:-

सफेदा, सू-बबूल, अरडू, विलायती बबूल,
इजरायली बबूल, देशी बबूल और शीशम.

राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(एन.एन. तनखा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- गृह आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।
3- पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर ।
4- शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5- समस्त जिला कलेक्टर्स ।
6- समस्त मुख्य वन संरक्षकगण ।
7- समस्त वन संरक्षकगण, राजस्थान ।
8- समस्त मंडल वन अधिकारीगण/उप वन संरक्षकगण/उप मुख्य वन्य प्रतिपालकगण/क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का, रणथम्भौर

ह0/-
उप शासन सचिव

:: कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर । अत्यावश्यक

क्रमांक एफ 36(2)69/अनु/प्रमुवसं/ 769-875 दिनांक= 28

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक का